फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 30 प्रभात जयपुर, रविवार 31 अगस्त, 2025 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

Metro

epaper.rashtradoot.com

ARBiT

What is BRICS? BRICS has long sought to present a united front against what its members see as an unbalanced global order that is dominated by the United States and Western Europe

Meet India's Largest Parrot

Corn Bursts And Banana Flapjacks

Banana flapjacks are sweet, fluffy, and a total treat for kids

''एस.आई. भर्ती'' रद्द करने पर गहलोत ने आखिरकार अपना मुंह खोला, पर संतुष्ट नहीं कर पाये

गहलोत ने कहा कि ''उनकी सरकार में एस.ओ.जी. में चीटिंग सैल बनाया गया था, जिसकी जांच में पेपरलीक का घोटाला उजागर हुआ।'' परंतु सत्य यह है कि, एस. आई. भर्ती-2021 में हुए पेपरलीक की जांच भजनलाल सरकार के कार्यकाल में एस.ओ.जी. को सौंपी गई थी

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अगस्त। आखिरकार, राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय देने के दो दिन बाद अशोक गहलोत ने मुंह खोला। गहलोत ने आज एक छुटपुट कॉन्फ्रेंस कर एस.आई. भर्ती परीक्षा- 2021 में हुए व्यापक पेपरलीक के विषय में बयान जारी किया। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस की जानकारी कुछ चुनिंदा पत्रकारों को ही थी, और गहलोत ने भी इस बारे में ट्विटर पर केवल एक साढे चार मिनिट का वीडियो जारी किया है। पर इस वीडियो में आरोपों को लेकर गोलमोल जवाब ही दिया है, जिम्मेदारी लेने या तय करने के बजाय वसुंधरा सरकार के दौरान नियुक्त किए गये आरपीएससी सदस्यों को ही आरोपी बताया है और स्वयं का पल्ला झाड़ने के लिए अपनी सरकार में 'चीटिंग' को रोकने के लिए उठाये गये कदमों का ढिंढोरा पीटा है।

- गहलोत कार्यकाल में दर्ज कराई गई 10 एफ.आई.आर. और बड़े पैमाने पर हुए पेपरलीक के आरोपों के कारण कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई थी, इसके बावजूद तत्कालीन सरकार ने उनकी नहीं सुनी।
- आर.पी.एस.सी. ने दिसंबर-2021 में लिखित परीक्षा तथा अप्रैल-2022 में शारीरिक परीक्षा का परिणाम जारी किया था।
- गहलोत ने अपने बयान में कहा कि, ''उनके कार्यकाल के दौरान शिक्षक ग्रेड-2 और वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2022 में पेपरलीक का मामला सामने आया था, जिस पर उन्होंने परीक्षा रद्द कर दी थी।'' परंतु सत्य यह है कि इन मामलों में दर्ज एफ.आई.आर. में जिस आर.पी.एस.सी. अधिकारी के लिप्त होने का आरोप था, उसके खिलाफ गहलोत कार्यकाल के पूरे 5 सालों में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई।

अपने बयान में गहलोत ने कहा कि, उनकी सरकार के दौरान, वर्ष 2022 में हुई अध्यापक ग्रेड लेवल-2 और वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती के पेपरलीक की जानकारी जैसे ही उन्हें मिली थी तो उनकी सरकार ने परीक्षा रद्द कर पुनः आयोजित करवाई थी। पर

(शेष पृष्ठ 4 पर)

संसद में स्थापित होगा भगवान जगन्नाथ के रथ का पहिया

नई दिल्ली, 30 अगस्त। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुरी रथ यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए गए रथों के तीन पहिये संसद परिसर में स्थापित करने के श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। एसजेटीए ने एक बयान में कहा, ''पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दौरे के दौरान प्रशासन ने संसद परिसर में रथों के तीन पहिये स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। बिरला ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।'' एसजेटीए के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाधी ने शुक्रवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ आज श्री जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु का आशीर्वाद लिया। हम माननीय अध्यक्ष के प्रति अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने रथ यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए गए तीन रथों में से प्रत्येक रथ का एक पहिया संसद परिसर में एक प्रमुख स्थान पर स्थापित

- लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि रथ यात्रा के तीनों रथों का एक-एक पहिया संसद में स्थापित किया जाए।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के अनुसार ट्रम्प ने ''सैल्फ गोल'' किया है

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 30 अगस्त। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, जो शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में वित्त के प्रोफेसर हैं, ने भारत और अन्य देशों पर ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ़ को ''सैल्फ गोल'' कहा है। उनका कहना है कि वॉशिंगटन, जैसे भारत या चीन जैसे प्रतिस्पर्धियों पर वार करने की कोशिश कर रहा है, वह अंततः अपनी ही अर्थव्यवस्था को अधिक गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। उनका तर्क तीन प्रमुख पहलुओं में पर आधारित है।

पहला, टैरिफ़ घरेलू कीमतों को बढ़ाते हैं। जब अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत जैसे ऊंचे शुल्क लगाता है, तो उन आयातों की कीमत स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। अमेरिका में आयातक या तो इस उच्च कीमत को उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं या अपने खुद के मुनाफे को घटाकर इसे खुद वहन कर लेते कर लेते हैं। किसी भी स्थिति में, अमेरिकी घरों को वस्त्र, समुद्री भोजन, फर्नीचर या वस्त्र जैसे रोजमर्रा के सामान के लिए ज्यादा कीमतें देनी पड़ती हैं। चूंकि निम्न-आय वाले परिवार अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा ऐसे सामानों पर खर्च करते हैं, इसलिए उन पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है। महंगाई का यह प्रभाव खुद को ही पराजित करता है। क्योंकि यह उसी क्रय शक्ति को कमज़ोर करता है, जिसे नीति निर्माता बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

- उदाहरण के लिए, भारी टैरिफ लगाने से अमेरिका में रोजमर्रा का सामान, टैक्सटाइल्स, सी-फूड, फर्नीचर आदि महंगे हो जायेगें, तथा महंगाई से आम जनता की जेब खाली होगी, जो ट्रम्प भरने का दावा कर रहे हैं।
- राजन का दूसरा तर्क है, भारी टैरिफ लगने से डिमाण्ड (मांग) कम हो जायेगी। अतः अमेरिका के व्यापारी टैरिफ का ''प्रोटेक्शन'' (सुरक्षा) मिलने से जो लाभ मिलने की आशा थी, वह ''डिमाण्ड'' कम होने से नुकसान में परिवर्तित हो जायेगा।
- राजन का तीसरा तर्क है, आयातित वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाने की प्रतिक्रिया स्वरूप, दूसरे देश भारी टैरिफ लगायेंगे, जिससे अमेरिका से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, जैसे कृषि उत्पाद, बादाम, सेव व दालों के निर्यात में भारी कमी आयेगी। जिससे अमेरिका के किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा।
- राजन का मानना है, कि टैरिफ बहुत पुराना ''आऊट-डेटेड'' हथियार है, जिसकी धार बहुत पहले ही कुन्दित हो चुकी है। टैरिफ नीति कुछ समय के लिए लाभ देती नज़र आती है, पर दीर्घकाल में टैरिफ की सुरक्षा प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता तथा ''इनोवेशन'' को निरुत्साहित करती है।
- अतः, अमेरिका को टैरिफ की दीवार के पीछे छुप कर बैठने से लाभ नहीं, वरना स्किल (हुनर), इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च को प्रोत्साहित करना चाहिए।

दूसरा, उच्च टैरिफ़ मांग को

(शेष पृष्ठ 4 पर)

'राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ लगाने में हद पार कर दी'

अमेरिका के एक फैडरल अपील कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ नीति पर अंकुश लगाते हुए सख्त टिप्पणी की

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 30 अगस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा किया था कि उन्हें कांग्रेस को दरकिनार करते हुए विदेशी उत्पादों पर बड़े पैमाने पर कर (टैरिफ) लगाने की लगभग असीमित शक्ति प्राप्त है। लेकिन अब एक संघीय अपील अदालत ने उनके इस रास्ते में बड़ा रोड़ा खड़ा कर दिया है।

यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फैडरल सर्किट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि ट्रम्प ने उस समय हद पार कर दी जब उन्होंने राष्ट्रीय आपात स्थिति का हवाला देते हुए लगभग हर देश से होने वाले आयात पर भारी टैरिफ लगा दिए। इस फैसले ने मुख्य रूप से न्यूयॉर्क की एक विशेष संघीय व्यापार अदालत के मई में दिए गए निर्णय को बरकरार रखा है।

हालांकि, 7 बनाम 4 के बहुमत से आए इस फैसले में उस हिस्से को खारिज कर दिया गया है जिसमें टैरिफ्स को तुरंत हटाने की बात थी। इसके परिणामस्वरूप ट्रम्प प्रशासन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अवसर मिल गया है।

यह फैसला ट्रम्प के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जिनकी अस्थिर व्यापार नीतियों ने न केवल वित्तीय बाजारों को हिला दिया, बल्कि कारोबारियों को अनिश्चितता में डाल दिया और महंगाई व आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ा दी। इस मामले में अंतिम

- कोर्ट ने 7 बनाम 4 के बहुमत से दिए फैसले में कहा, ट्रंप ने नैशनल इमरजैंसी के नाम पर दुनिया के सभी देशों पर टैरिफ लगाकर हद ही पार कर दी है।
- कोर्ट के इस निर्णय से ट्रंप को तगड़ा झटका लगा है, जो यह दावा करते हैं कि विदेशी उत्पादों पर टैरिफ लगाने का उन्हें पूरा अधिकार है, इसके लिए कांग्रेस की अनुमति की जरूरत भी नहीं है।
- ट्रंप के लिए, हालांकि, राहत की बात यह रही कि कोर्ट ने टैरिफ वापस लेने का आदेश नहीं दिया है और अमेरिकी प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय दिया है।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

नोबेल के लिए नॉमिनेट नहीं किया, तो ट्रंप ने टैरिफ लगाया

वॉशिंगटन, 30 अगस्त। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते उस वक्त खराब होने शुरू हो गए जब नरेन्द्र मोदी और डॉनल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बात हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा खुलासा करते हुए उस दिन की बात बताई है, जब पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कनाडा में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन से इतर टेलीफोन पर बात हुई थी। 17 जून को पीएम मोदी और ट्रंप के बीच करीब 35 मिनट कर टेलीफोन पर बात हुई थी और इस दौरान ट्रंप ने मोदी से उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने को कहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा करते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार के लिए बार बार भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक चले संघर्ष को खत्म करवाने की बात कर रहे हैं।

- न्यूयार्क टाइम्स ने भारत पर टैरिफ लगाने के कारण का खुलासा किया।

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 17 जून को टेलीफोन पर ट्रंप

(शेष पृष्ठ 4 पर)

भारी आशाओं के बीच प्र.मंत्री मोदी शनिवार के दोपहर को चीन पहुंचे

उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात रविवार को होगी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 अगस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर थोपे गए टैरिफ युद्ध से उपजे दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सात वर्षों के अंतराल के बाद चीन पहुंचे। उनके इस दौरे से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक को लेकर बड़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं, जिससे भारत-चीन संबंधों को नई दिशा मिल सकती है।

रविवार को शी जिनपिंग के साथ उनकी निर्धारित बैठक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की टैरिफ नीति से उत्पन्न हालात के मद्देनजर अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसने दुनिया की लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है।

प्रधानमंत्री जापान से चीन पहुंचे हैं, जो उनके दो देशों के दौरे का दूसरा और अंतिम चरण है।

मोदी के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और सम्मेलन में आए अन्य कई नेताओं से भी द्विपक्षीय वार्ताएं करने की संभावना है।

प्रधानमंत्री की यह यात्रा उस समय हो रही है, जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी हाल ही में भारत की यात्रा कर चुके हैं।

वांग यी ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से विस्तृत बातचीत की थी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने स्थिर, सहयोगपूर्ण और भावी-दृष्टिकोण वाले संबंधों के लिए कई उपायों की घोषणा की थी।

इन उपायों में विवादित सीमाओं पर शांति बनाए रखने, सीमावर्ती व्यापार फिर से शुरू करने, और सीधी उड़ानों को जल्द बहाल करने जैसे कदम शामिल थे।

पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों ने उन तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के प्रयास किए हैं, जो जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़पों के बाद बिगड़ गए थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार जून 2018 में चीन की यात्रा की थी, जब वह एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। शी जिनपिंग ने अक्तूबर 2019 में भारत का दौरा किया था, जो दोनों नेताओं के बीच दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन था।

पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच तनातनी का अंत 21 अक्तूबर 2024 को हुए उस समझौते के बाद हुआ था, जिसके तहत डेमचोक और डेपसांग जैसे आखिरी दो तनाव बिंदुओं से सैनिकों की वापसी पूरी हो गई थी।

- इससे पहले विदेश मंत्री एस.जयशंकर व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन के विदेश मंत्री वैंग पी से विस्तार से बात कर चुके हैं, आपसी मुद्दों पर, जिसका सार है सीमा पर शांति स्थापित रखना, सीमा पर व्यापार की सम्भावना को सुलभ बनाना तथा दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करना।
- इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्र.मंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात व बातचीत करेंगे।

'प्रतिबंध के बावजूद कार्य व्यवस्था के नाम पर तबादला क्यों'

जयपुर, 30 अगस्त। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर प्रतिबंध होने के बावजूद कार्य व्यवस्था के नाम पर वन विभाग में कार्यरत सर्वेयर का तबादला करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने प्रमुख वन सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और उप वन संरक्षक, झालावाड़ से जवाब तलब किया है। अधिकरण के सदस्य चेतनराम देवड़ा और लेखराज तोसवडा ने यह आदेश राजेश कुमार की अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अधिकरण को बताया कि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने परिपत्र जारी कर राज्य कर्मचारियों के तबादले पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद झालावाड़ में तैनात अपीलार्थी को गत 15 जुलाई को कार्य व्यवस्था के नाम पर टोंक में लगा दिया। इसको चुनौती देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार का एक विभाग दूसरे विभाग के परिपत्र की पालना नहीं कर रहा है। इसके अलावा सेवा नियमों में कार्य व्यवस्था के नाम पर पदस्थापित करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसके अलावा अपीलार्थी अल्प वेतन भोगी है और मूल जगह के

- सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने प्रमुख वन सचिव व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक से जवाब मांगा।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

सोमवार को जम्मू जाएंगे शाह

नयी दिल्ली, 30 अगस्त। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह भीषण बाढ से जूझ रहे जम्मू कश्मीर में स्थिति का जायजा लेने के लिए सोमवार को जम्मू जायेंगे। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार शाह सोमवार को जम्मू पहुंचने के बाद बाढ से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे।

इसके बाद वह दिन में राजभवन में उप राज्यपाल , सेना तथा प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक बैठक में राहत और बचाव अभियानों की समीक्षा करेंगे। बैठक में बाढ से प्रभावित राहत और पुनर्वास कार्यों के बारे में भी बातचीत की जायेगी। जम्मू कश्मीर में हो रही अप्रत्याशित बारिश , बादल फटने की घटनाओं, भूस्खलन और माता वैष्णों देवी मार्ग पर हुए हादसे के कारण सौ से भी अधिक लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं।

- केन्द्रीय गृहमंत्री जम्मू के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेंगे।

'भारत विश्व के गैर कानूनी घुसपैठियों की राजधानी नहीं है'

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने झुंझला कर सुप्रीम कोर्ट में कहा

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 30 अगस्त। पश्चिम बंगाल में लगभग हर व्यक्ति बंगाली बोलता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सिर्फ बंगाली भाषा बोलने के आधार पर किसी व्यक्ति को अवैध बांग्लादेशी प्रवासी मान लिया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि भाषा के आधार पर किसी को विदेशी करार नहीं दिया जा सकता।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि बंगाली बोलने वाले श्रमिकों, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल थी, को अवैध रूप से हिरासत में लेकर बांग्लादेश में धकेल दिया गया।

न्यायमूर्ति बागची ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, हम चाहते हैं कि आप यह स्पष्ट करें कि भाषा के आधार पर किसी को विदेशी मानने की यह पूर्वाग्रहपूर्ण सोच क्यों है?

उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर भाषा जैसे पहचान चिन्हों के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं हो सकता।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि सीमा पर तैनात अधिकारी बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के लोगों को निर्वासित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह महिला गर्भवती थी और उसे जबरन देश से बाहर धकेल दिया गया-बिना यह साबित किए कि वह विदेशी है या नहीं। वे कह रहे हैं बंगाली भाषा बांग्लादेशी भाषा है, इसलिए जो भी बंगाली बोले, वह बांग्लादेशी है। कोई भी अधिकारी किसी को भी विदेशी साबित किए बिना उसे देश से बाहर कैसे निकाल सकता है?

- एडवोकेट प्रशान्त भूषण ने बार-बार तुषार मेहता को घेर कर पूछा, ''भाषा कैसे मापदण्ड हो सकती है किसी की नागरिकता का निर्णय लेने के लिए।''
- तुषार मेहता ने प्रत्युत्तर में पूछा, ''सिविल सोसायटी ग्रुप्स की क्या भूमिका है? ये संस्थाएं क्यों इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आती हैं, अगर किसी व्यक्ति विशेष को दिक्कत हो तो वह न्यायालय में आये। क्यों एक सुनियोजित तरीके से घुसपैठिये आते हैं, और इससे देश के संसाधनों पर भार पड़ता है।''

भूषण ने यह भी बताया कि उस महिला को बाद में बांग्लादेश में विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसे भारतीय नागरिक माना गया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि हिबीस कॉर्पस याचिकाओं को सिर्फ इसलिए लंबित नहीं रखा जा सकता क्योंकि इससे संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं, और उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह इस मामले की जल्द सुनवाई करे।

भूषण ने जोर देते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल के आदेश के बिना कोई भी व्यक्ति देश से निष्कासित नहीं किया जा सकता।

जब न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उल्लेख किया कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल केवल असम में हैं, तो भूषण ने उत्तर दिया कि वास्तव में सीमा सुरक्षा बल अपने विवेक से कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, कई बार बीएसएफ वाले कहते हैं, उधर भाग जाओ वरना गोली मार देंगे।

न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की, कोई भी व्यक्ति यदि भारत की सीमा के भीतर पाया जाए, तो उसके साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। एक बार व्यक्ति भारतीय सीमा के भीतर आ गया, तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई तय प्रक्रिया से होनी चाहिए।

सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल मेहता ने तर्क दिया, कि इस तरह की याचिकाओं के पीछे सामाजिक संगठनों की भूमिका पर सवाल है। उन्होंने कहा, ऐसे संगठन ही क्यों कोर्ट में आते हैं? किसी व्यक्ति को भी आने दिया जाए। भारत अवैध प्रवासियों की वैश्विक राजधानी नहीं है। साथ ही उन्होंने व्यवस्थित घुसपैठ को

(शेष पृष्ठ 4 पर)